<u>WESTERN RAILWAY</u>

P.S.No.19/2011 Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. EP/HER/1216/77 Date: 28.01.2011

To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn,'W' Zone, Mumbai
C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Payment of Ex.gratia lump-sum compensation to families of Railway employees who die in harness on duty.

==========

A copy of Railway Board's letter No.E(W) 2007/CP-1/37 dated 10.01.2011 (RBE No.4/2011) is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Railway Board's letter No.E(W)99/CP-1/1 dated 5.1.1999 (RBE No.285/1999) and dtd.09.02.2000 referred to therein has been circulated vide this office letter dated 21.02.2000 (P.S.No.33/2000)

Encl: As above.

(S Kademani)
For General Manager(E)

Copy of Railway Board's letter No.E(W) 2007/CP-1/37 dated 10.01.2011 (RBE No.4/2011) addressed to the General Manager, All Zonal Railways and Production Units.

Sub: Payment of Ex.gratia lump-sum compensation to families of Railway employees who die in harness on duty.

Ref: Board's letter No.E(W) 99/CP-1/1 dated 05.11.1999 (RBE No.285/1999)

In partial modification of this office letter No.E(W)99/CP-1/1 dated 09.02.2000, the clarification that "the compensation payable under Workmen's compensation Act (WCA) should be reduced from the lump-sum amount payable as Ex-gratia compensation is hereby withdrawn. However, the aggregate of the relief / Ex.gratia compensation paid from different sources of workmen compensation, viz. compensation under WCA, compensation under Section 124 of the Railways Act, 1989 as applicable, etc. is subject to the ceiling laid down in para-12 of Annexer to Department of Pension & Pensioners' Welfare's O.M. No.45/55/97-P&PW (C) dated 11.09.1998 circulated vide Board's letter No.E(W)99 CP-1/1 dated 05.11.1999 as amended vide letter no.E(W) 2008/CP-1/7 dated 30.09.2008 notifying revised rates of compensation w.e.f.01.01.2006. **These orders are effective from 01.08.1997.**

2. Sanction is also communicated to revision of the ceiling on aggregate amount mentioned in Para-12 of Annexer to the DOP&PW's O.M.dated 11.09.1998 ibid referred to above from Rs.10 lakh to Rs.20 lakh in each invidual case w.e.f. 01.01.2006.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge the receipt.

****

पश्चिम रेलवे

पी.एस.सं.19/2011 प्रधान कार्यालय,
चर्चगेट, मुंबई,

सं.ईपी(एनईआर)1216/77 दि. 28-01-2011

सभी म.रे.प्र./मु.का.प्र. और यूनिट इनचार्ज.
प्रति : महामंत्री- वे.रे.ए.यू.-ग्रांटरोड/वे.रे.म.सं.-मुंबई सेंट्रल,
प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया अ.जा./अ.ज.जा.रेल कर्म., एसो. 'वेस्ट' झोन,मुंबई ,
प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया ओ.बी.सी.रेल कर्मचारी एसोसिएशन , मुंबई.

विषय : जिन रेलवे कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान ड्यूटी पर मृत्यु हुई हो, उनके परिवारों को एकमुश्त अनुग्रह मुआवजे का भुगतान करना ।

****

रेलवे बोर्ड के दिनांक 10.01.2011 के पत्र सं.ई(डब्ल्यू) 2007/सी पी -1/37 (आर बी ई सं.4/2011) की प्रतिलिपी सुचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है ।

इसमें उल्लेखित रेलवे बोर्ड के दिनांक 5.11.1999 के पत्र सं.ई(डब्ल्यू) 99/सी पी -1/1(आर बी ई सं.285/1999) और दि.09.02.2000 के पत्र को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 21.02.2000 (पी एस सं.33/2000) के अंतर्गत परिपत्रित किया गया है ।

संलग्न : यथोक्त

(एस कट्टेमणी)
कृते महाप्रबंधक (स्था)

सभी भारतीय रेलों के महाप्रबंधकों को तथा अन्यों को संबोधित रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 10.01.2011 के पत्र सं.ई(डब्ल्यू) 2007/सी पी -1/37 (आर बी ई सं.4/2011) की प्रतिलिपी ।

विषय : जिन रेलवे कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान ड्यूटी पर मृत्यु हुई हो, उनके परिवारों को एकमुश्त अनुग्रह मुआवजे का भुगतान करना ।

संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 05.11.1999 का पत्र सं.ई(डब्ल्यू) 99/सी पी -1/1(आर बी ई सं.285/1999)

इस कार्यालय के दिनांक 09.02.2000 के पत्र सं.सं.ई(डब्ल्यू) 99/सी पी -1/1 में आंशिक आशोधन करते हुए यह स्पष्टीकरण कि "कर्मकार प्रतिकर अधिनियम (डब्ल्यूसीए) के अंतर्गत देय

मुआवजे को अनुग्रह मुआवजा के रूप में देय एकमुश्त राशि से कम कर दिया जाए, को एतद्द्वारा वापस लिया जाता है । बहरहाल, कर्मकार मुआवजे के विभिन्न स्रोतों यथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 के अंतर्गत यथा लागू मुआवजा से भुगतान किए जाने वाले राहत / अनुग्रह मुआवजे की कुल राशि बोर्ड के दिनांक 05.11.1999 के पत्र सं.ई(डब्ल्यू) 99/सीपी-1/1, जिसे दिनांक 30.09.2008 के पत्र सं.ई(डब्ल्यू)2008/सीपी 1/7 द्वारा संशोधित किया गया है जिसमें 01.01.2006 से मुआवजे की संशोधित दरें अधिसूचित की गई हैं, द्वारा परिचालित पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के दिनांक 11.09.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं.45/55/97 पी एंड पी डब्ल्यू (सी) के अनुबंध के पैरा 12 में निर्धारित अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगी । ये आदेश 01.08.1997 से प्रभावी हैं ।

2. पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के दिनांक 11.09.1998 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध के पैरा 12 में उल्लिखित कुल राशि की अधिकतम सीमा में संशोधन की स्वीकृति भी संसूचित की जाती है, जिसे 01.01.2006 से प्रत्येक अलग अलग मामले में रू.10 लाख से संशोधित कर रू.20 लाख कर दिया गया है ।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

****